B. A. History Hon's Part: II
Paper: IV, Unit: V (b), Date: 28 · 8 · 2020, Lecture No.: 32
Lession: फिलिस्तीन की समस्या

फिलिस्तीन की समस्या

फिलिस्तीन की समस्या स्वेज नहर पर स्थित फिलिस्तीन सभ्यताओं का पालना कहलाता था विश्व के तीन प्रधान धर्मों - यहूदी, ईसाई एवं इस्लाम की पवित्र भूमि फिलिस्तीन में आज बारूद बिछी हुई है। अरबों और यहूदियों में घोर युद्ध जारी है। जिओनी आन्दोलन यहूदी लोग फिलिस्तीन के मूल निवासी थे। कालांतर में अपने शासकों के शोषण से बचने के लिए वे देश छोड़कर भाग गए और विश्व के तमाम देशों में जाकर बस गए। उनकी भूमि पर अरबों ने अधिकार कर लिया। 19वीं सदी के अंत में संसार के विभिन्न भागों से आकर संगठित रूप से फिलिस्तीन में यहूदियों द्वारा बसने की जो हलचल शुरू हुई, उसे जिओनी आन्दोलन कहते हैं। 1896 में उनके वियना में यहूदी राज्य नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें यहूदियों के राष्ट्र की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया गया। 1897 में हर्जेल ने डाई-वेल्ट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 1901 में रूस की सरकार ने यहूदियों पर घोर अत्याचार किया। वे फिलिस्तीन में ही बसना चाहते थे। 1904 में हर्जेल का देहान्त हो गया किन्तु जिओनी आन्दोलन जीवित रहा। राष्ट्रीय कोष से वित्तीय सहायता मिलती थी।

1914 के प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर जिओनी आन्दोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बन गया। ब्रिटेन के यहूदी नेता डॉ० वाइजमान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के यहूदी वकील लुई दि ब्रान्डेस ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रथम विश्वयुद्ध में यहूदियों ने अंग्रेजों की बड़ी मदद की। ऐसी हालत में ब्रिटिश शासकों ने यहूदियों नेताओं से वादा किया कि फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन कायम करने का आन्दोलन होगा। तत्पश्चात ब्रिटेन ने इस नीति पर फ्रांसीसी सरकार और अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की भी स्वीकृति प्राप्त कर ली।

बालफर-घोषणा: इंग्लैंड के विदेश मंत्री बालफर ने 2 नवम्बर 1917 को घोषित किया कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय गृह की स्थापना के विचार के प्रति सहानुभूति रखती है।

फिलिस्तीन पर ब्रिटिश-संरक्षण 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में फिलिस्तीन पर ब्रिटिश संरक्षण कायम करने का निश्चय किया गया। जुलाई 1922 में राष्ट्रसंघ ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। संरक्षक राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वह "इस देश को ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक स्थिति में रखे कि यहूदियों के लिए स्वदेश स्थापित करना संभव हो सके तथा इसके साथ-ही-साथ फिलिस्तीन के सभी निवासियों के नागरिक और धार्मिक अधिकार सुरक्षित रहें।" फिलिस्तीन को 'ए' वर्ग का संरक्षण शासन दिया गया। अप्रैल 1920 में संरक्षण-पद्धति की घोषणा के तुरंत बाद जेरूसलेम में यहूदी-विरोधी दंगे शुरू हो गए। 1922 के श्वेत-पत्र जारी किया और अरबों के मुकाबले [illegible] मात्र दी गई। 1919 में फिलिस्तीन में यहूदियों की जनसंख्या सिर्फ तिरसठ हजार थी। 1934 तक यह संख्या बढ़कर तीन लाख तक पहुँच गई। फिलिस्तीन की शासन व्यवस्था: फिलिस्तीन का शासन-प्रबंध ब्रिटिश औपनिवेशिक मंत्रालय के अधीन था और ब्रिटिश उच्चायुक्त वहाँ के शासन की देखरेख करता था। 1921 में सर हैनुएल फिलिस्तीन का उच्चायुक्त नियुक्त हुआ। [illegible] 1924 को [illegible] वाली घटना घटी। जेरूसलेम एक ऐसा नगर है जिसे अरब और यहूदी दोनों ही पवित्र मानते हैं।

कल्याणकारी राज्य, कुलीनतंत्र आदि पृथक-पृथक नाम दिये गये हैं। परन्तु इनमें कोई एक विचार भी पूर्णतः मान्य नहीं है, क्योंकि यह पृथक-पृथक विशेषताएँ सल्तनत के अलग-अलग राजवंशों की तत्कालीन परिस्थितियों को उल्लेख करती है। इनमें सर्वाधिक मान्य मत यह है कि दिल्ली सल्तनत के केन्द्रीकृत राजतंत्र थे। जिसमें सैनिक वर्ग ही प्रशासक वर्ग का मुख्य अंग था। सल्तनत के शासकों ने राज्य का यही रूप अन्तिम तक कायम रखा। इसमें आमूल्य परिवर्तन मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद ही संभव हो सका।

□ डॉ० शंकर जय किशन चौधरी
अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग
डी० बी० कालेज, जयनगर